निदेशालय कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संः 264 /21(35)/डा0सें0/नि0को0पें0ह0/2015 दि0 01 /05/ 2015

निविदा आमंत्रण–सूचना

निदेशालय कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून के कार्यालय भवन, डाटा सेन्टर, साईबर ट्रेजरी एंव भवन परिसर की विद्युत मरम्मत व 125के0वी0ए0 जनरेटर, सर्वो एवं अन्य विद्युत उपकरणों की विद्युत वायरिंग का रख–रखाव आदि आदि की व्यवस्था, वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध के आधार पर कराये जाने हेतु इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से मुहरबन्द निविदायें दि0 23.05.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदायें दो लिफाफा प्रणाली के आधार पर स्वीकार की जायेगी ।

2– निविदा फार्म विभागीय वेबसाईट http://ekosh.uk.gov.in/tenders पर डाउनलोड अथवा कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित तिथि तक प्राप्त किये जा सकते हैं ।

प्रभारी निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

निदेशालय कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड,
23 लक्ष्मीरोड़, डालनवाला, देहरादून।

सं0: /21(35)/डा0सें0/नि0को0वि0से0/2013 दि0 / /2015

अन्तिम तिथि 23.05.2014 **निविदा फार्म**
समयः 3.00 बजे अपरान्ह तक

धरोहर राशि ₹ 15,500.00

फार्म का मूल्य	₹ 200.00
वैट	₹ 27.00
योग	₹ 227.00

1. तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा संलग्न हैं।
2. विद्युत मरम्मत, जनरेटर व सर्वों की विद्युत वायरिंग एवं अन्य विद्युत उपकरणों इत्यादि का रख–रखाव के लिए निविदा की कार्यावधि एक वर्ष होगी ।
3. नियम व शर्ते निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर
जारीकर्ता अधिकारी
सील

हस्ताक्षर

टेण्डरदाता/निविदादाता

नाम ....
पता ....
सील सहित..

निदेशालय कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मीरोड़, डालनवाला, देहरादून।

तकनीकी निविदा (Technical Bid)

अन्तिम तिथिः– 23.05.2015

वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र :–

निविदादाताओं के लिए नियम एंव शर्तो में क्रमांक 01 से 04 तथा 01 से 23 तक वांछित अभिलेख/ प्रमाण पत्रों का क्रमवार विवरण :–

1– आयकर विभाग में पजीकरण का प्रमाण–पत्र (पैन कार्ड) की फोटो प्रति।

2– वित्तीय वर्ष 2013–14 में जमा आयकर रिर्टन की प्रमाणित फोटो प्रति।

3– पी0डब्लू0डी0 अथवा किसी सरकारी निर्माण एजेन्सी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा "क" श्रेणी विद्युत ठेकेदारी का लाईसेंस की फोटो प्रति।

4– सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में विद्युत मरम्मत/रख–रखाव का 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रति।

5– ....

6– ....

धरोहर धनराशि (Earnest Money)

धरोहर धनराशि ₹ 15,500/– (रूपये पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र) जो निदेशक, कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से बन्धक होगीः–

एफ0डी0आर0सं0/डिमान्ड ड्राफ्ट सं0/ ....

दिनांक ....

निर्गत शाखा का नाम..

हस्ताक्षर

टेण्डरदाता/निविदादाता

नाम ....

पता ....

(सील सहित)

घोषणा–पत्र

मैं/फर्म/कम्पनी निदेशालय कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून के कार्यालय भवन, डाटा सेन्टर, साईबर ट्रेजरी एंव भवन परिसर की विद्युत मरम्मत व 125के0वी0ए0 जनरेटर, सर्वो एवं अन्य विद्युत उपकरणों की विद्युत वायरिंग का रख–रखाव आदि का कार्य, वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के आधार पर कार्य से सम्बन्धित निविदादाताओं के लिये नियम व शर्ते क्रमांक 01 से 04 व 01 से 23 तक जो निविदा फार्म के साथ संलग्न है। अनुरक्षण के कार्य के लिए फर्म वचनबद्ध है कि निदेशालय कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित विद्युत वायरिंग अनुरक्षण का कार्य करेगी। उक्त के अतिरिक्त फर्म द्वारा टेण्डर की शर्तो को भलीं–भांति पढ़ लिया है और समझ लिया है। मैं/फर्म उक्त नियम एवं शर्तो से सहमत हूं। मै/फर्म को भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग/ संस्थान/ प्रतिष्ठान के द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम...

पदनाम एवं पता/फर्म की सील

....

....

निदेशालय कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

वित्तीय निविदा (Fianancial Bid)

अन्तिम तिथि:– 23.05.2015

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दर प्रतिमाह (धनराशि ₹ में)
1	2	3
1–	निदेशालय कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून के कार्यालय भवन, डाटा सेन्टर, साईबर ट्रेजरी एंव भवन परिसर की विद्युत मरम्मत व 125के0वी0ए0 जनरेटर, सर्वो एवं अन्य विद्युत उपकरणों की विद्युत वायरिंग इत्यादि का रख–रखाव आदि का कार्य।	

(रू0...मात्र)

हस्ताक्षर
टेण्डरदाता / निविदादाता

नाम ....

पता ....

(सील सहित)

कार्यालय भवन एंव परिसर आदि की सुचारू विद्युत आपूर्ति, उपकरणों इत्यादि के रख–रखाव के लिये नियम एंव शर्ते

(निविदा फार्म भरने से पूर्व शर्तो/नियमों का पूर्ण रूप से भली भांति अध्ययन कर लिया जाय।)

अधिमानी शर्ते–

01– फर्म/ठेकेदार का आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी होगी।

02– फर्म/ठेकेदार को वित्तीय वर्ष 2013–2014 में जमा आयकर रिर्टन की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न करना अनिवार्य होगा।

03– फर्म/ठेकेदार को किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में लगातार कम से कम 03 (तीन) वर्ष का विद्युत मरम्मत/रख–रखाव के कार्यो को कराये जाने का अनुभव होना आवश्यक होगा। साक्ष्य हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना होगा।

04– फर्म का पंजीकरण पी0डब्लू0डी0 अथवा किसी सरकारी निर्माण एजेन्सी में पंजीकृत होना अनिवार्य है, तथा विद्युत सुरक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा ''क'' श्रेणी का विद्युत ठेकेदारी लाईसेंस होना चाहिए।

सामान्य शर्ते–

01– निविदा दो लिफाफा प्रणाली के आधार पर स्वीकार की जायेगीं। जिसमें एक लिफाफे में तकनीकी निविदा (वांछित अभिलेख एंव धरोहर धनराशि) तथा दूसरे लिफाफे मे वित्तीय निविदा होगी। तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा को अलग–अलग लिफाफो में मुहरबन्द कर लिफाफों के ऊपर ''तकनीकी निविदा'' तथा ''वित्तीय निविदा'' लिखकर एक बड़े मुहरबन्द और सम्यक रूप से अंकित लिफाफे के अन्दर रख कर डालनी होगी। जो निविदादाता तकनीकी निविदा की सम्पूर्ण शर्तो को पूरा करेगें उन्हीं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

02– अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

03– निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगीं।

04– निविदा एक वर्ष के लिये मान्य होगी। जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

05– विद्युत आपूर्ति/मरम्मत/रख–रखाव का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस में किया जायेगा। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर अवकाश दिवस में भी कार्य करना होगा।

06– विद्युत आपूर्ति/मरम्मत/रख–रखाव में निम्नलिखित कार्य किये जाने हैः–

क– निदेशालय भवन, डाटा सेंटर एंव साईबर ट्रेजरी के समस्त कमरों, बरामदों व पूरे कार्यालय परिसर में समस्त विद्युत वायंरिग, फिटिंग एव अन्य विद्युत उपकरणों का रख–रखाव।

ख– सप्ताह में एक दिन समस्त विद्युत वायरिंग चैक कर रिर्पोट प्रस्तुत करनी होगी।

07– भवन परिसर में लगे पंखो में नियमित ग्रीसिंग (त्रैमासिक) का कार्य स्वंय करना होगा। जिसके लिये अलग से कोई धनराशि देय नहीं होगी।

08– टेस्टर, टूल बाक्स, क्रेम्प मीटर आदि की आपूर्ति फर्म/ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

09– जले हुये अथवा खराब उपकरणों (टयूब, चौक, एम0सी0बी0, स्विच) इत्यादि को बदलने हेतु नये उपकरणों की आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी। इसके लिये फर्म द्वारा लिखित रूप में मांग करनी होगी।

10– कार्यालय एंव भवन परिसर की विद्युत मरम्मत/जनरेटर तथा सर्वो की वायरिंग का रख–रखाव इत्यादि के लिये फर्म/ठेकेदार द्वारा आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराया जायेगा जो कम से कम आई0टी0आई इलैक्ट्रिकल होना अनिवार्य है, जो प्रातः 9.00 से अपरान्ह 6.00 बजे तक कार्यालय में ही उपस्थित रहेगें।

11– फर्म/ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान मासिक आधार पर ही माह पूर्ण होने पर फर्म/ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

12– फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मी नीली वर्दी (पैंट/कमीज) में रहेगें, जो कि ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने व्यय पर उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।

13– जनरेटर/सर्वो में विद्युत आपूर्ति के मापदण्ड, विद्युत वायंरिग, आयल आदि का कार्य फर्म द्वारा तैनात कर्मी द्वारा किया जायेगा।

14– फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि उनके द्वारा जो कार्मिक तैनात किया जायेगा उन्हें समय से भुगतान किया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा। समय से भुगतान न किये जाने की स्थिति में विभाग की कोई जिम्मेदारी/जबावदेही नहीं होगी।

15– फर्म/ठेकेदार/श्रमिकों के बीच यदि कोई विवाद/दुर्घटना होती है तो उसका दायित्व विभाग/उत्तराखण्ड शासन का नहीं होगा। सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार इस हेतु प्रत्येक दशा में उत्तरदायी होगें।

16– विद्युत कर्मी के अनुपस्थित रहने पर एवं मरम्मत के कार्य का स्तर अच्छा न होने पर उस दिन के समतुल्य के बराबर भुगतान की राशि एंव ₹ 200.00 प्रतिदिन दण्ड के रूप में फर्म/ठेकेदार से वसूली की जायेगी।

17– फर्म/ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व कार्यालय परिसर, जनरेटर व सर्वो आदि की वायरिंग का भली–भांति निरीक्षण कर लिया जाय।

18– कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह 10 दिन पूर्व सूचना पर करार को निरस्त कर दें। इसमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

19– ठेकेदार को स्वंय अथवा ठेकेदार द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम दो दिन प्रातः 10 बजे कार्य के निरीक्षण के लिये उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निरीक्षण विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।

20– निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तो के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

21– सफल निविदादाता/फर्म को ₹ 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नियम व शर्तो की सहमति का अनुबन्ध पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। देय स्टाम्प ड्यूटी फर्म द्वारा वहन की जायेगी

22– सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर ₹19,250.00 (रू0 उन्नीस हजार दो सौ पचास मात्र) सुरक्षा धनराशि के रूप में बैंक सावधि जमा/ बैंक गारन्टी जो निदेशक, कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बंधक होगी, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23– अगर न्यायालय में कोई वाद दायर होता है, तो वह देहरादून स्थित सक्षम न्यायायल में होगा।

....